


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 1999/कार्तिक 4, 1921
No. 645] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1999/KARTIKA 4, 1921

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1999

का.आ. 1050(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं और जिन्हें कृषि प्रयोजनों के लिए विक्रय किया जाना है, क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	किस्में	प्रकार
1	2	3
1.	रश्मि (एल सी के-9216)	अलसी
2.	पद्मिनी (एल एम एच-62)	अलसी
3.	मालवीय विकल्प (एम ए-3)	अरहर
4.	जे आर सी-698 (श्रान्ती व्हाइट पी बी सी-6)	जूट
5.	जे आर ओ-8432 (शक्ति तोसा सी ओ 32)	जूट
6.	सी एस एच-18 (एस पी एच-960)	ज्वार
7.	पन्त चरी-5 (यू पी एफ एस-32)	ज्वार (चारा)
8.	नन्दी-32 (एम एच-773)	बाजरा
9.	पूसा-415 (एम पी-739)	बाजरा
10.	पूसा कम्पोजिट-334 (एम पी 334)	बाजरा
11.	एम एल बी एच-504 (एम एच-793, एस एल बी एच-44)	बाजरा
12.	भैरबी (बी एम-9-1)	रागी
13.	सी एस आर-27 (आई ई टी-13765, सी एस आर-88-आई आर-6)	धान

1	2	3
14.	बुन्देल ग्वार-3 (आई जी एफ आर आई-1019-1)	ग्वार
15.	आर जी सी-1002	ग्वार
16.	जी सी एच-6 (जे एच बी-665)	अरन्ड
17.	बर्खा आर वी यू-38	उरद
18.	आजाद उर्द-1 (के यू 91-2)	उरद
19.	मारू वरदान (आर एम ओ-225)	मोठ बीन
20.	सी ए जेड आर आई मोठ-1 (सी जेड एम-79)	मोठ बीन

[सं. 17-23/99-एस डी-IV]
गोविन्दन नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture & Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1999

S.O. 1050(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee being of the opinion that it is necessary or expedient to regulate the quality of the Seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below of the kinds specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds shall be the notified varieties for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the purpose of the said Act, namely :—

TABLE

Sl. No.	Variety	Kind
1.	Rashmi (LCK-9216)	Linseed
2.	Padmini (LMH-62)	Linseed
3.	Malvia Vikalp (MA-3)	Arhar
4.	JRC-698 (Shrabanti white PBC-6)	Jute
5.	JRO-8432 (Shakti Tossa, Co-32)	Jute
6.	CSH-18 (SPH-960)	Sorghum
7.	Pant Chari-5 (UPFS-32)	Sorghum
8.	Nandi-32 (MH-773)	Bajra
9.	Pusa-415 (MP-739)	Bajra
10.	Pusa Composite 334 (MP-334)	Bajra
11.	MLBH-505 (MH-793, MLBH-44)	Bajra
12.	Bahirabi (BM-9-1)	Ragi
13.	CSR-27 (IET-13765, CSR-88 IR-6)	Paddy
14.	Bundel Guar-3 (IGFRI-1019-1)	Guar
15.	RGC-1002	Guar
16.	GCH-6 (JHB-665)	Caster
17.	Barkha (RBU-38)	Blackgram
18.	Azad Urd-1 (KU 91-2)	Blackgram
19.	Maru Vardan (RMO-225)	Mothbean
20.	CAZRI MOTH-1 (CZM-79)	Mothbean

[No. 17-23/99-SD.-IV]

GOVINDAN NAIR, Jt. Secy.